

नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेयवेली

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अध्याय II की धारा 4(बी) के अनुपालन में निम्न विवरण प्रस्तुत है।

II 4(बी)(i) इस संगठन के प्रकार्य एवं कर्तव्य का विवरण:-

नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है जोकि लिग्नाइट खनन व विद्युत उत्पादन करती है। कंपनी के मामले निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। निम्न औद्योगिक एकक, कंपनी के अधीन हैं तथा प्रचलित किये जाते हैं।

- (i) खान-I जिसकी लिग्नाइट क्षमता 10.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
- (ii) खान-IE जिसकी लिग्नाइट क्षमता 3.0 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
- (iii) खान-II जिसकी लिग्नाइट क्षमता 10.5 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
- (iv) 600 मे.वा क्षमतावाली ताप विद्युत गृह -I इस ताप विद्युत गृह द्वारा उत्पादित विद्युत को एन एल सी की आवश्यकता को पूर्ति करने के उपरांत, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड को दिया जाता है।
- (v) 420 मे.वा क्षमतावाली ताप विद्युत गृह -I विस्तार। इस गृह द्वारा उत्पादित विद्युत को आंध्र प्रदेश को छोड़कर दक्षिण क्षेत्र विद्युत बोर्ड द्वारा उपयोग किया जाता है।
- (vi) 1470 मे.वा क्षमतावाली ताप विद्युत गृह -II विस्तार। इस गृह द्वारा उत्पादित विद्युत को दक्षिण क्षेत्र विद्युत बोर्ड द्वारा उपयोग किया जाता है।
- (vii) बरसिंहसर, राजस्थान में 2.1 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमतावाली खान, ताप विद्युत उत्पादन 2x125 मे.वा की आवश्यकता को आपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त विवरण एन एल सी वेबसाइट www.nlcindia.com में उपलब्ध हैं।

II 4(बी)(ii) कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ व अधिकार :-

कंपनी को सुचारू रूप से चलाने हेतु जहाँ तक शक्तियों की जरूरत है उसे ही कंपनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती है। कंपनी के उद्देश्य को हासिल करने हेतु कर्मचारियों को आवश्यक कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार शक्तियों व कर्तव्यों को बदला जाता है।

II 4(बी)(iii) पर्यवेक्षण तथा जिम्मेदारी सहित निर्णयन कार्य प्रक्रिया में अनुसरित की जानेवाली कार्यविधि:-

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा कंपनी के अंतर्नियम के अनुसार निदेशक मंडल अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करता है बशर्ते वे शक्तियाँ सरकारी नियंत्रण के अनुरूप हों।

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक / एन एल सी को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कुछ वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियाँ का उप प्रत्यायोजन किया गया हैं जिन्हें सी एम डी द्वारा प्रकार्यात्मक निदेशकों एवं अधिकारियों को संगठन के प्रभावपूर्ण प्रचालन हेतु कुछ वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों को पुनः उपप्रत्यायोजित किया गया है। सी एम डी / प्रकार्यात्मक निदेशक / अधिकारी उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के अंदर ही निर्णय लेते हैं। सी एम डी / प्रकार्यात्मक निदेशक / अधिकारी अपने-अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह होते हैं।

II 4(बी)(iv) कंपनी द्वारा अपने प्रकार्यों को निभाने हेतु निर्धारित मानदंड:-

कंपनी, लिग्नाइट तथा विद्युत उत्पादन करती है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक लक्ष्यों को निर्धारित कर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है। वर्ष 2010-2011 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्पादन लक्ष्य निम्नानुसार है।

खान

क्र. सं.	उत्पाद	खान - I	खान - I ए	खान - II विस्तार सहित	बरसिंहसर खान	कुल
1	ओवरबर्डन(एल.एम. क्यू)	540.00	200.00	750.00	91.00	1581.00
2	लिग्नाइट (लाख टन)	89.25	25.50	110.00	17.90	241.40

थर्मल

क्र. सं.	उत्पाद	ता.वि.गृ - I	ता.वि.गृ - I विस्तार	ता.वि.गृ - II	ता.वि.गृ - II विस्तार	बरसिंहसर ता.वि.गृ	कुल
1	सकल विद्युत (एम.यू.)	3784.00	2944.00	9658.00	948.00	1424.00	18758.00

II 4 (बी)(v) कंपनी को अपने प्रकार्यों को निभाने हेतु उसके पास या उसके नियंत्रणाधीन कंपनी को या उसके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग हुए जानेवाले नियम, विनियम, अनुदेश ,मैनुवल एवं रिकार्ड निम्न प्रकार है।

एन एल सी ने कंपनी को सुचारु रूप से चलाने हेतु नियम बनाये हैं ।

प्रमुख मार्गदर्शी दस्तावेज निम्न प्रकार है:-

- 1.कार्मिक मैनुवल
- 2.क्रय मैनुवल
- 3.लेखा मैनुवल
- 4.संविदा मैनुवल

II 4 (बी)(vi) कंपनी के पास उपलब्ध तथा उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों का वर्गीकृत विवरण:-

एन एल सी के पास कंपनी के व्यापार प्रचालन हेतु वाणिज्यिक तथा तकनीकी दस्तावेज तथा उसके कर्मचारियों से संबंधित विवरण उपलब्ध है।

II 4 (बी)(vii) कंपनी की नीति का निर्धारण या कार्यान्वयन संबंधित मामलों में जनता के साथ परामर्श या जनता को प्रतिनिधित्व संबंधी व्यवस्था का विवरण:-

कंपनी का मुख्य व्यापार विद्युत उत्पादन है। कंपनी द्वारा उत्पादित विद्युत का टैरिफ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है। एन एल सी द्वारा टैरिफ नियतन प्रक्रिया के एक अंग के रूप में मांगे गए लोक सुझाव / आपत्ति प्रस्ताव का विवरण आयोग के नियमानुसार प्रकाशित की जाती है तथा सी.ई.आर.सी को अपना राय देने हेतु आम जनता को पूरा अधिकार है।

एन एल सी द्वारा कोई नई परियोजना का अनुमोदन दिए जाने से पहले जिस क्षेत्र में परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है उस जिला के जिलाधीश द्वारा लोक सुनवाई आयोजित की जा रही है।

II 4 (बी)(viii) दो या दो से अधिक व्यक्तियों से गठित बोर्ड, परिषद, समिति एवं अन्य निकायों या उनके सलाह हेतु तथा इन बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों की बैठकों में जनता की सहभागिता का विवरण या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त, जनता द्वारा आसानी से देखा जा सकता है क्या?

उपयुक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी के मामले विधिवत् गठित निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित एवं प्रशासित किए जाते हैं तथा, जहाँ आवश्यक तथा वांछनीय है वहाँ प्रत्यायोजित किया जाता है। विधि के अंतर्गत आवश्यक/ विचारीधीन समितियाँ या अन्य निकायों के अलावा कंपनी को सुचारू रूप से तथा दक्षतापूर्ण चलाने के लिए अन्य निकाय, समितियाँ (उदाहरण के लिए निविदा समिति, विभागीय पदोन्नति समिति, इन्वेंटरी समिति इत्यादि) विभिन्न स्तरों पर कंपनी द्वारा समय समय पर गठित की जाती है / बनाई जाती है एवं इसके अंग के रूप में बोर्ड तथा निर्णयन-कार्य स्तर के अधिकारियों की सहायता करने हेतु तथा / या सलाह देने हेतु, जो भी हो, सूचित निर्णयों को पहुँचाने हेतु समितियाँ या अन्य निकाय गठित की जाती है। बोर्ड की बैठकों / विचार-विमर्श तथा ऐसी समितियाँ या निकायों जिनको निर्दिष्ट किया है की बैठकें जनता के लिए नहीं है तथा ऐसे समितियों / निकायों की सिफारिशों तथा / या कार्यवृत्त जनता के द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सकता है।

बशर्ते यदि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार नियुक्ति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी संतुष्ट हैं कि व्यापक लोक हित के कारण किसी विशिष्ट मामले को प्रकट करना जरूरी है तो ऐसे कार्यवृत्त तथा / या सिफारिशों की जानकारी तब दी जा सकती

है जब उस मामले पर अंतिम निर्णय किया गया हो तथा उस मामला पूरी तरह से पूरा हो चुका हो।

बशर्ते कि, बोर्ड की कार्यवाही की जानकारी बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त बोर्ड की समिति के विनिर्दिष्ट पूर्वानुमति के बिना जनता को नहीं दिया जाए / प्रकट किया जाए।

II 4 (बी)(ix) इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

दिनांक 31.03.2010 तक, विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:

कार्यपालक	गैर कार्यपालक	श्रमिक	कुल
4,051	7,977	6,328	18,356

दिनांक 31.03.2010 तक मुख्य अधिकारियों की निर्देशिका निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	कार्यालय
1	अन्सारी. ए.आर	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	04142-252280
2	बाबू राव . पी	निदेशक (कार्मिक)	04142-252220
3	सुरेंद्र मोहन. बी	निदेशक (खान)	04142-252270
4	कंदसामि. आर	निदेशक (योजना व परियोजना)	04142-252384
5	सेकर . के	निदेशक (वित्त)	04142-252240
6	सेतुरामन. वी	निदेशक (विद्युत)	04142-252570
7	बालसुब्रमणियन. के. एस	मुख्य सतर्कता अधिकारी	04142-250326
8	पेरुमालसामि . सी	कार्यपालक निदेशक (विद्युत)	04142-268642
9	चंद्रमोहन. वी	कार्यपालक निदेशक (वित्त)	04142-250324
10	सिवज्ञानम .बी	कार्यपालक निदेशक (योजना व संविदा)	04142-252215
11	राजगोपाल .एस	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एन टी पी एल)	0461-2352122
12	रामकृष्णन.जी	मुख्य महा प्रबंधक / कन्वेयर व एस एम ई	04142-228354
13	राजगोपाल. एस	मुख्य महा प्रबंधक /सामग्री प्रबंधन	04142-228296
14	शण्मुगसुंदरम . पी.टी	महा अधीक्षक / चिकित्सा	04142-252381
15	रामलिंगम . एस	मुख्य महा प्रबंधक / खान I & I ए	04142-228376
16	पालपाण्डि . के	मुख्य महा प्रबंधक / ता वि गृ II	04142-257716
17	कुमारसामि. एस	मुख्य महा प्रबंधक / खान II	04142-262252

18	सारथि . ई	मुख्य महा प्रबंधक / वित्त	04142-253421
19	लूदस. ए	मुख्य महा प्रबंधक / कार्मिक	04142-252213
20	जॉन साइमन. के	मुख्य महा प्रबंधक /सेवा, जी.डब्ल्यू & विद्युत, खान	04142-252657
21	महिलसेल्वन . जे	मुख्य महा प्रबंधक / विद्युत गृह अभियंत्रिकी	04142-252463
22	सेंतमिलसेल्वन . सी	मुख्य महा प्रबंधक / नगरीय प्रशासन	04142-252396

II 4 (बी)(x) कंपनी के विनियम में दिए गए क्षतिपूर्ति प्रणाली सहित प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक:-

पदनाम	वेतनमान
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	80,000-1,25,000 रु.
निदेशक	75,000-1,00,000 रु.
कार्यपालक निदेशक	62,000-80,000 रु.
मुख्य महा प्रबंधक	51,300-73,000 रु.
महा प्रबंधक	51,300-73,000 रु.
उप महा प्रबंधक	43,200-66,000 रु.
मुख्य प्रबंधक	36,600-62,000 रु.
अपर मुख्य प्रबंधक	36,600-62,000 रु.
उप मुख्य इंजिनियर	32900-58000 रु.
वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता	32900-58000 रु.
कार्यपालक अभियंता	29100-54500 रु.
सहायक कार्यपालक अभियंता	20600-46500 रु.
अपर अभियंता / जी. ई.टी	20600-46500 रु.
सहायक अभियंता	8600-250-14600 रु.
कनिष्ठ अभियंता ग्रेड -I	6400-180-10720 रु.
कनिष्ठ अभियंता ग्रेड -II	6050-170-10130 रु.
डिप्लमो अभियंता प्रशिक्षणार्थी	5750-160-9590 रु.
डब्ल्यू-8	6395-180-10715 रु.
डब्ल्यू -7	6050-170-10130 रु.
डब्ल्यू -6	5750-160-9590 रु.
डब्ल्यू -5	5500-150-9100 रु.
डब्ल्यू -4	5300-140-8660 रु.

डब्ल्यू -3	5150-130-8270 रु.
डब्ल्यू -2	5000-120-7880 रु.
डब्ल्यू -1	4900-110-7540 रु.
डब्ल्यू -0	4685 रु.
औद्योगिक प्रशिक्षणआर्थी / खनन	10000-100-20000 रु.

उपर्युक्त वेतनमान के साथ साथ सभी नियमित कर्मचारियों को महँगाई भत्ता (प्रति तिमाही संशोधित) म.कि.भ/न.प्र.भ., छुट्टी, चिकित्सा इलाज, अवकाश यात्रा रियायात,सवारी भत्ता प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि, उपदान आदि कार्पोरेशन के नियमानुसार लागू है।

II 4 (बी)(xi) सभी योजना के विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा संवितरण रिपोर्ट सहित प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट का विवरण :-

वर्ष 2010-2011 के लिए कंपनी का लिग्नाइट तथा विद्युत उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट नियतन निम्न प्रकार है:-

- | | |
|--|--------------------|
| 1. राजस्व व्यय | 3278.34 करोड रुपये |
| 2. गैर योजना पूँजी
(उपस्कर की जोड तथा प्रतिस्थापन के लिए) | 300.00 करोड रुपये |
| 3. नई परियोजनाओं पर पूँजी व्यय
(खान-II व ता.वि.गृ II विस्तार तथा राजस्थान परियोजना आदि) | 1983.46 करोड रुपये |

इस बजट नियतन की तुलना में वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष के अंत में पता चलेगा। यह भी ध्यान देने की बात है कि कंपनी भारत सरकार से कुछ भी बजटीय सहायता नहीं लेती है।

II 4 (बी)(xii) सहायिकी (subsidy) कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का तरीका, ऐसे कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधि तथा लाभार्थियों का विवरण :-

एन एल सी में अभी तक सामान्य तौर पर कोई सहायिकी (subsidy) कार्यक्रम नहीं है।

II 4 (बी)(xiii) कंपनी द्वारा दी गई रियायतों, पर्मिट या प्राधिकार प्राप्तकर्ताओं का विवरण:-

किसी अभिकरण को एन एल सी द्वारा कोई रियायत पर्मिट प्राधिकार नहीं दिया जाता है। हालाँकि, कर्मचारियों के हित में एन एल सी टाउनशिप के अंदर कुछ सरकारी / गैर सरकारी अभिकरणों जैसे बैंक, स्कूल, दूकान आदि चलाने के लिए अनुमति / अनुज्ञप्ति एन एल सी द्वारा दी जाती है।

II 4 (बी)(xiv) कंपनी द्वारा उपलब्ध सूचना का इलक्ट्रानिक रूप के संबंध में विवरण :-

कृपया एन एल सी वेबसाइट www.nlcindia.com को देखें।

II 4 (बी)(xv) यदि पुस्तकालय या वाचनालय आम जनता के उपयोग हेतु अनुरक्षित हो तो उसके कार्य समय सहित सूचना प्राप्त करने हेतु जनता के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :-

कंपनी, नेयवेली टाउनशिप में एक पुस्तकालय चलाती है। पुस्तकालय दिनभर खुला रहता है। यह सोमवार से शनिवार तक सुबह 7.30 बजे से रात 20.00 बजे तक तथा रविवार को सुबह 08.00 बजे से 13.00 बजे तक खुला रहता है।

कंपनी द्वारा नेयवेली टाउनशिप में चार वाचनालय भी चलाये जाते हैं। (ब्लॉक 5,8,25&29)

II 4 (बी)(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण:-

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी :-

श्री.एस. श्रीधर

पी.आर.ओ भवन, ब्लॉक-2

नेयवेली – 607 801

दूरभाष (कार्यालय) 04142-253679

ईमेल cpio@nlcindia.com

केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारीगण

श्री. एन मुत्तु महा प्रबंधक (का व प्र) खान II नेयवेली – 607 802 दूरभाष – 04142-228528 (का) ई-मेल: nmuthu@nlcindia.com	श्री. जॉर्ज जेकब महा प्रबंधक / आई. ई निगमित कार्यालय, ब्लॉक-1, नेयवेली-607 801 दूरभाष -04142-252298(का) 04142-253434(नि) ई-मेल: dgm.ie.co@nlcindia.com
श्री. आर. विक्रमन उप महा प्रबंधक (का व प्र) ताप विद्युत गृह – II नेयवेली – 607 807 दूरभाष – 04142-252611 (का) 04142-253307 (नि) ई-मेल: ramanvikraman@nlcindia.com	श्री. आर. सीतारामन उप महा प्रबंधक (वित्त) निगमित कार्यालय ब्लॉक -1, नेयवेली – 607 801 दूरभाष 04142-251961 (का) 04142-229433 (नि) ई-मेल – rsraman@nlcindia.com

<p>श्री. यू. दयालन उप मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) सतर्कता शाखा ब्लॉक -8, नेयवेली – 6078 801 दूरभाष 04142-252589(का) ई-मेल: u.dayalan@gmail.com</p>	<p>अपील प्राधिकारी: नगरीय प्रशासनिक विभाग से संबंधित अपीलों के मामलों में श्री. ए. लूदस, मुख्य महा प्रबंधक/ का व प्र कार्मिक व प्रशासन निगमित कार्यालय ब्लॉक -1, नेयवेली – 607 801 दूरभाष- 04142-252213 (का) 04142-250329 (नि) ई-मेल</p>
<p>अपील प्राधिकारी: श्री. सी. सेंटमिल सेल्वन मुख्य महा प्रबंधक (नगरीय प्रशासन) ब्लॉक-10, नेयवेली -607801 दूरभाष- 04142-252396 (का) 04142-252539 (नि) ई-मेल senthsmildrlbsn.c@nclcindia.com</p>	<p>श्री. एम. सुकुमार उप महा प्रबंधक / का व प्र शिक्षा विभाग, ब्लॉक-18 नेयवेली 607 803 दूरभाष 04142-252279 (का) 04142-256027(नि) ई-मेल dgmeducationnclcindia.com</p>
<p>श्री. के. पेरियसामि, उप महा प्रबंधक (का व प्र) निगमित कार्यालय ब्लॉक -1, नेयवेली – 607 801 दूरभाष- 04142-252078 (का) 04142-256284 (नि) ई-मेल periyasamy.dgmpa@nclcindia.com</p>	<p>श्री. आर. मोहन उप महा प्रबंधक (वित्त) वित्त व लेखा शाखा, निगमित कार्यालय, ब्लॉक -1, नेयवेली – 607 801 दूरभाष 04142- (का) 04142- 268112(नि) ई-मेल – mohanr@nclcindia.com</p>

II 4 (बी)(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो निर्धारित है तथा जिन्हें हर वर्ष अद्यतन किया जाता हो: -
नियमों के अनुसार वर्तमान में लागू शुल्क निम्नानुसार है:-

क्रम सं	विवरण	शुल्क (रु)
1	आवेदन शुल्क	10.00
2	ए 4 / बी 5 शीट में प्रत्येक पृष्ठ में सूचना देने हेतु	2.00
3	ए 3 / बी 4 शीट में प्रत्येक पृष्ठ में सूचना देने हेतु	5.00
4	(1.33 एम बी) 31/2 ” फ्लापी में सूचना देने हेतु	50.00

5	सी.डी में सूचना देने हेतु	50.00
6	रिकार्ड का निरीक्षण (प्रथम घंटे के लिए कुछ शुल्क नहीं है) हर 15 मिनट या फ्राक्शन के लिए	5.00
7	मुद्रित पुस्तकों के लिए – मुद्रित पुस्तकों का वास्तविक लागत या हरेक पृष्ठ के प्रकाशन से लिए गए उद्धरणों की फोटोकॉपी के लिए	2.00

उपर्युक्त आवेदन तथा अन्य शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक, एन एल सी लिमिटेड के पक्ष में करने से ही स्वीकार किया जाएगा।

किसी अन्य माध्यम से भुगतान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। सूचना हेतु आवेदन तभी स्वीकृत किया जाएगा तथा कार्रवाई की जाएगी जब वह उपर्युक्त खंड XVI में दिए गए अनुसार लोक सूचना अधिकारी को संबंधित हो।
